

पटना में दिनांक-13 अगस्त, 2019 मंगलवार को अपराह्न 5:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर भर्ती/चयन प्रक्रिया संबंधी बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-663, 672 एवं 673 के अन्तर्गत परिशिष्ट-103 के पूर्व से विद्यमान प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने एवं अधिसूचना प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार पुलिस चालक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | नेपाल हितकारी योजना-2009 गंडक परियोजना के तहत शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अन्तर्गत पूर्वी मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य में सामग्री ढुलाई मद में रुपये 1,99,71,777/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार सात सौ सतहत्तर) का अनियमित भुगतान करने संबंधी आरोप के लिए श्री प्रवीण कुमार (आई०डी०-5066), तत्कालीन सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल वाल्मीकिनगर संप्रति सहायक अभियंता नगर एवं आवास विभाग को "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | नेपाल हितकारी योजना-2009 गंडक परियोजना के तहत शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर अन्तर्गत पूर्वी मुख्य नहर के पुनर्स्थापन कार्य में सामग्री ढुलाई मद में रुपये 1,99,71,777/- (एक करोड़ निन्यानवे लाख इकहत्तर हजार सात सौ सतहत्तर) का अनियमित भुगतान करने संबंधी आरोप के लिए श्री रंजन प्रसाद समैयार (आई०डी०-3223), तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, शीर्ष कार्य प्रमंडल वाल्मीकिनगर संप्रति कार्यपालक अभियंता, पुनपुन बराज प्रमंडल-01, गोह को "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

जल संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 5. | जल संसाधन विभाग अंतर्गत राशि ₹ 3422.00 लाख (तीन हजार चार सौ बाईस लाख रुपये) मात्र बिहार आकरिमकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति। | 5. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

निगरानी विभाग

6. निगरानी विभाग के नियंत्रणाधीन विशेष निगरानी इकाई के लिए लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक {लेवल पे-12(78800-209200)} के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति।
6. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7. पथ प्रमंडल हिलसा अंतर्गत राजगीर बाईपास SH-71 के कि०मी० 58वें में स्थित नीमा ग्राम से NH82 के कि०मी० 77वें में स्थित हसनपुर ग्राम के यात्री पड़ाव तक पथ के (कुल 6.49 कि०मी० पथांश लंबाई) में पथ परत कार्य, क्रास ड्रेन कार्य, भूमि अधिग्रहण कार्य, Road Safety कार्य, Utility Shifting कार्य का प्राक्कलन हेतु कुल 12900.00 लाख (एक सौ उनतीस करोड़) रुपये के अनुमानित व्यय पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
7. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. पथ प्रमंडल छपरा, सीवान एवं गोपालगंज के अन्तर्गत मांझी-बरौली पथ (SH-96) के कि०मी० 0.00 से 62.218 तक के विभिन्न पथांशों (संलग्न परिशिष्ट-1) में मिट्टी कार्य, सिमेन्ट कंक्रीट पथ कार्य, आर०सी०सी० उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य, क्रॉस ड्रेन निर्माण कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest clearance कार्य, Junction improvement कार्य, विविध कार्य एवं पथ फर्निचर कार्य सहित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 18742.13 लाख (एक सौ सतासी करोड़ बियालीस लाख तेरह हजार) रुपये के अनुमानित लागत पर पृथक-पृथक (यथा संलग्न परिशिष्ट-1) प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
8. स्वीकृत।

विधि विभाग

9. माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में स्टाफ कार ड्राइवर के 6 (छह) पदों के सृजन के संबंध में।
9. स्वीकृत।

विधि विभाग

10. न्यायमंडल, पटना के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, मसौढ़ी में एक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं एक अवर न्यायाधीश कार्यालय के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

विधि विभाग

11. न्यायमंडल, कैमूर, भभुआ के अधीन अनुमंडलीय न्यायालय, मोहनियाँ में एक अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी (SDJM), एक मुंसिफ, दो न्यायिक दण्डाधिकारी, सिविल जज (जुनियर डिवीजन) एवं अनुमंडलीय न्यायालय कार्यालय के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मियों के कुल-53 (तिरपन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

11. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

12. षोडश बिहार विधान सभा के त्रयोदश-सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 192वें सत्र के सत्रावसान संलेख पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।

12. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

13. माल और सेवा कर प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप वाणिज्य-कर विभाग के पिछले बकाया विवादों के समाधान हेतु बिहार कराधान विवाद समाधान योजना लाये जाने के संबंध में।

13. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14. पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के पुनर्विकास हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि० (BMSICL) पटना द्वारा Turnkey आधार के स्थान पर मेडिकल उपकरण सहित EPC mode (Engineering Procurement and Construction Mode) में निविदा आमंत्रित किये जाने एवं विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धी निविदा (International Competitive Bidding) में समान प्रकृति के कार्य अनुभव संबंधी निविदा शर्तों में संशोधन की स्वीकृति।

14. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

15. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रण में कार्यरत लोक उपक्रम बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन के फलस्वरूप निगम निदेशक पद की 154वीं बैठक के मद संख्या 154. 9 में लिये गये निर्णय के आलोक में सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रक एवं प्रबंधक, गुण नियंत्रक का पद सृजन एवं वेतनमान की स्वीकृति के संबंध में।

15. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

16. खान एवं भूतत्व विभाग के विभिन्न ग्रेडों के पदों यथा—अपर निदेशक के 01, उप निदेशक के 03, सहायक निदेशक के 04, खनिज विकास पदाधिकारी के 21, खान निरीक्षक के 66, सर्वेक्षक के 03, प्रारूपक के 02, उच्चवर्गीय लिपिक के 23 एवं निम्नवर्गीय लिपिक के 56 अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।
16. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

17. पटना जिला के अंतर्गत अत्यधिक आर्सेनिक से प्रभावित मनेर बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु पूर्व में 75.54 करोड़ रुपये की राशि पर स्वीकृत योजना का पुनरीक्षण कर 108.00 करोड़ (एक सौ आठ करोड़ मात्र) रुपये की राशि पर पुनरीक्षित स्वीकृति।
17. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. पथ निर्माण विभाग अंतर्गत 60 (साठ) कार्य प्रमंडलों में एक-एक चतुर्थवर्गीय पदों को प्रत्यर्पित (Surrender) करने तथा इन प्रत्यर्पित पदों के विरुद्ध अमीन का पद सृजित किये जाने के संबंध में।
18. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

19. कोल वितरण नीति 2007 के तहत लघु, मध्यम एवं अन्य उद्योगों को उचित मूल्य पर कोयले की आपूर्ति हेतु बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० को राज्य नामित एजेंसी (State Nominated Agency) नामित करने के संबंध में।
19. वापस लिया गया।

खान एवं भूतत्व विभाग

20. बिहार बालू खनन नीति, 2019 निरूपित करने के संबंध में।
20. स्वीकृत।